श्रम एवं रोजगार विभाग

अधिसूचना

शिमला–171002, 8 जुलाई, 2010

संख्याः श्रम(ए)4–6 / 2007–बी0ओ0सी0 डब्ल्यू.—हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियम) अधिनियम, 1996 की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना संख्याः श्रम (ए) 7–6 / 2007–बी0ओ0सी0डब्ल्यू, तारीख 4 दिसम्बर, 2008 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 8 दिसम्बर, 2008 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश भवन एवम् अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियम) नियम, 2008 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भवन एवमं अन्य निर्माण कर्मकार. (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियम) संशोधन नियम, 2010 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. **नियम 263 का संशोधन.**—हिमाचल प्रदेश भवन एवम् अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त का विनियम) नियम, 2008 के नियम 263 में, उप नियम-(1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:–

"बोर्ड, सरकार की पूर्व सहमति से श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश के किसी अधिकारी को बोर्ड के सचिव के रुप में नियुक्ति कर सकेगा, परन्तु वह–

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि रखता हो या इसके समकक्ष हो;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से श्रम विधि (कानून) में उपाधि / डिप्लोमा रखता हो; और

(iii) श्रम एवं रोजगार विभाग, हिमाचल प्रदेश में कम से कम पंद्रह वर्षो का कार्य करने का अनुभव रखता हो और 10300–34800 जमा 4400 ग्रेड पे के वेतनमान में पहले से ही कार्यरत हो।''

आदेश द्वारा,
हस्ता0 / –
अति0मुख्य सचिव।

———————

[Authoritative English Text of this Department Notification No Shram (A) 4-6/2007-BOCW dated 8-07-2010 as required under Article 348(3) of the Constitution of India].

LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, *the 8th July,* 2010

No Shram (A) 4-6/2007-BOCW.—In exercise of the powers conferred by section 62 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service)

Act, 1996, the Governor Himachal Pradesh , is pleased to make the following rules to amend the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2008 notified *vide* Notification No. Shram(A)4-6/2007-BOCW dated 4th December2008 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh, dated 8-12-2008 namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2010.

(2) These rules shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra , Himachal Pradesh .

2. **Amendment in rule 263.**—In rule 263 of the Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Other Conditions of Service) Rules, 2008, for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:—

"The Board may, with the prior concurrence of the Government, appoint an officer from the Labour and Employment Department, Himachal Pradesh as the Secretary of the Board, provided he:—

(i) possesses a Bachelor's Degree or its equivalent from a recognized University ;

(ii) possesses a Degree/Diploma in Labour Laws from a recognized University , and

(iii) has minimum of 15 years of working experience in the Labour and Employment Department, Himachal Pradesh and is already working in the pay scale of Rs. 10,300-34,800 + 4400 GP".

By order,
Sd/-
Addl. Chief Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित